

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 101/2026 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट,1956

खेताराम वगैरा बनाम गुणेशाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी-बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण वकील-श्री मोहनलाल हुड्डा

निर्णय

दिनांक-30.03.2026

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मोहनलाल हुड्डा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हक हकूक व कब्जा काशत का खेत तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर के भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा राम नगर के खेत के खसरा संख्या 307/26रकबा 0-7365 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 311/27 रकबा 2.0396 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम तथा पटवार क्षेत्र एकल भू.अ.नि.क्षेत्र अरटी के मौजा भाडा के खसरा संख्या 252/235 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/112 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मौजा रामदेरिया पश्चिम के खसरा संख्या 516/1 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 520/122 रकबा 1.9344 हैक्टेयर, खसरा संख्या 96 रकबा 3.0594 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेडों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पैमाइश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा-जमाबंदी संवत् 2075-78, खसरा नक्शा एवं जमाबंदी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकनोपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। अस्तु, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थानभू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर के भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा राम नगर के खेत के खसरा संख्या 307/26रकबा 0-7365 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 311/27 रकबा 2.0396 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम तथा पटवार क्षेत्र एकल भू.अ.नि.क्षेत्र अरटी के मौजा भाडा के खसरा संख्या 252/235 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/112 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मौजा रामदेरिया पश्चिम के खसरा संख्या 516/1 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 520/122 रकबा 1.9344 हैक्टेयर, खसरा संख्या 96 रकबा 3.0594 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी कार्य हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षों के रुबरु किसी मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विचारित प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वह हल्का पटवारी के साथ उभय पक्षों के रुबरु विवादित भूमि के मौके व कब्जे काशत में परिवर्तन के बिना मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व नियमानुसार नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। मौक पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत (यदि आवश्यकता हो तो) तहसीलदार को नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा